अतिआवश्यक

तत्काल

प्रेषक

निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, शिक्षा सदन सैक्टर-5, पंचकूला।

सेवा में,

राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी.

यादी क्रमांक 16/02-2023 GS (3) दिनांक पंचकुला—

विषय:-

निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के सैक्शन 12(1)(सी) के प्रावधान अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2023—24 में मान्यता प्राप्त प्राईवेट विद्यालयों में दाखिले करने बारे।

\*\*\*\*\*

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयांकित मामले में मान्यता प्राप्त विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अलाभप्रद वर्ग के बालकों को दाखिले के सम्बन्ध में आवेदन करने के लिए दिनांक 31.03.2023 से 15.04.2023 तक की समय—सीमा निर्धारित की गई है।

निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के सैक्शन 12(1) (सी) के प्रावधान अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2023—24 में मान्यता प्राप्त प्राईवेट विद्यालयों में दाखिले के सम्बन्ध में आवेदन—फार्म की प्रति व मार्गदर्शिका आपको आगामी कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

संलग्न—1.आवेदन फार्म। 2.मार्ग दर्शिका।

रजिस्ट्रार शिक्षा सरकारी स्कूल (नॉन सिविल) कृतेः निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकुला दिनांक २९०३०२०२३

पृष्ठांकन-सम्-दिनांक

्र अपरोक्त की एक प्रति, उपनिदेशक, आई०टी० सैल को आवेदन—फार्म की विभागीय वैबसाईट (https://harprathmik.gov.in)) पर अपलोड करने हेतु प्रेषित की जाती है।

रजिस्ट्रार शिक्षा

सरकारी स्कूल (नॉन सिविल) कृतेः निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा

पंचकुला

Price of Form: NIL

## Application Form for Admission under RTE Act, 2009 to 1<sup>st</sup> or Pre- Primary Class

For the Academic Year 2023-24

Sl.No.2022/School Sr. No.

Affix Latest Photograph

Admission No(For Office U		Jse) F	RELIGION	CASTE
To The Pr	rincipal/Head Master		SC ST [Tick (v) is	EWS CWSN n appropriate box
Sir/Ma	adam, I request you to admit my son/da	ughter/ward to 1 <sup>st</sup> o	r pre-primary class	under the provision of
RTE A	ct, 2009. The required particulars are given be	ow:		
1.	Name of the pupil in full (in Block letters)	Surname	First Name	Middle Name
1 a	Name proposed by parents to be entered into school records. (It will not be changed later.) In BLOCK letters.			
2	Date of birth	In figures		In words
		DD MM	YYYY	
3	Place of birth	Village:	Tehsil:	
		Distt.:	State:	
4	Age as on 31st March 2022	DaysMonths	Years Gend	er Male/Female/Other
5	a) Father's full name in block letters	a)		
	b) Mother's full name in block letters	b)		
6	Parents Official address with designation (father and/or mother)			
7	Complete Residential address with address proof			
8	Aadhar Number/ Sr. No. of child in the ration card/ PPP No. and blood group of child			Control 2/

Contd...2/-

9	Annual income of the parents (Both father & Mother)	
10	Telephone No. (If any) and e-mail id	Office Residence:
		Mobile E-mail:
	5	Emergency contact no
11	Name of the home town of the parents as	Village:
	per official record of their employment	Tehsil: Distt
12	Mother tongue of the child	
13	Whether the pupil belongs to SC/ST	Yes/No
		If yes, enclose relevant certificates.
14	Whether the pupil belongs to economically	Yes/No
	weaker section (EWS). The certificate issued should not be older than 6 months	If Yes, enclose relevant certificates.
	as on 1 <sup>st</sup> April of the year of admission	
15	If the pupil is CWSN (Child With Special	
	Needs) Disability percentage should be more than 40%.	If Yes, enclose relevant certificates.
16	Whether the pupil is studying in any school	Yes/No
	presently.	If Yes, give the following particulars SchoolClass
47		
17	Identification Mark (any two)	1)
		2)
18	Distance of residence from school	In Kilometer
	250,424	
a)		ON BY PARENT/GUARDIAN given about my son/daughter/ward (name of the child)
_	furnished by me is true and c	correct and that I will not demand any change in the date of birth
	entioned at serial no. 2 at a future date.	
b) la	am also aware that if the information furnished ill be cancelled and the child will be withdrawn	above is found to be false or incorrect at any stage, the admission
	shall abide by the rules of the RTE Rules, 2011 f	
	,	one to time.
Date_		Signature of the Parent/Guardian
		Name:

## Application Form for Admission under RTE Act, 2009 to 1<sup>st</sup> or Pre-Primary class

## Documents to be enclosed with the duly filled application form of admission:

- Certificate of proof of age in the form of birth certificate issued by the authority competent to register births.
   This will include certificates from Notified Area Council/ Municipality/Corporation extract about the date of birth from records of Village Panchayat endorsed under the seal and signature of the Revenue/Panchayat officer of the concerned area.
- 2. A certificate that the child belongs to the Scheduled Caste/Scheduled Tribe/EWS/CWSN, wherever applicable, issued by the competent authority.
- 3. A certificate from the civil surgeon/rehabilitation centre or any other competent authority defined by the State Govt. certifying the child to be handicapped, wherever applicable. In case, where the handicap of the child can be visually seen by the principal, the child may be accepted as handicapped even without a certificate. However, the parent/guardian may be advised to obtain the relevant certificate from the competent authority and submit the same to the school.
- 4. Proof of residence (essential) and distance from the school: Note: A self-declaration in writing from the parent/guardian about distance of the residence from the school in which admission is sought may also be accepted to this effect.
- 5. Aadhar card of parents/ Parivar Pehchan Patra.
- 6. Income proof of the parents issued by the employer concerned or Revenue authorities.

8									it
Sr. No.	2023/	RECEIJ	PT						
		(School	Name)	received	an	admission	form	from	Master/Miss
	son/daughter of _					for adm	ission t	o class	
I have per	sonally verified the copies	of the require	d docum	ents/enclo	sure	s which are a	attache	ed here	with.
Date:							(Dea	ling Cle	erk)

विषय:-- नि:शुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के सैक्शन 12 (1) (सी) के प्रावधान अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2023—24 में मान्यता प्राप्त प्राईवेट विद्यालयों में दाखिले करने बारे गाईडलाईन।

\*\*\*\*\*\*

राज्य में निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा एक या इससे पूर्व की कक्षा जैसे भी स्थिति हो विद्यालय द्वारा आस पड़ोस क्षेत्र (Neighbourhood Area) के अलाभप्रद व आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के बच्चों को शैक्षणिक सत्र् 2023—24 के लिए दाखिला दिया जाना है। मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अलाभप्रद वर्ग के बालकों को दाखिला देने की समय—सारणी निम्नानुसार है:—

RTE Act 2009 की धारा 12(1) (सी) के पात्र	31.03.2023 से 15.04.2023 तक
लाभथियों हेतु दाखिले के लिए आवेदन की तिथि	
लॉटरी द्वारा ड्रा करने की तिथि	17.04.2023
बालकों के दाखिले की अंतिम तिथि	22.04.2023
बालकों द्वारा दाखिला न लेने पर आरक्षित रिक्त सीटों	
पर प्रतीक्षा सूची से बालकों को दाखिला देने की	
समय—अवधि।	

दाखिले के सम्बन्ध में गाईडलाईन निम्नानुसार जारी की जाती है:-

- सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि कक्षा एक या इससे पूर्व की कक्षा जहां कहीं लागू हो, की कुल सीटों का कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक अलाभप्रद व आर्थिक रूप से दुर्बल / कमजोर वर्ग से सम्बन्ध रखने वाले बालकों के लिए आरक्षित रखी जायेंगी।
- "अलाभप्रद समूह का बालक" अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चे एवं निःशक्त बालक आर.टी.ई. एक्ट 2009 की धारा 2 के खण्ड (घ) व (ङङ) (अ) अनुसार।
  - "आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग का बालक" आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग से सम्बन्धित बालकों के अभिभावक और माता—पिता की वार्षिक आय एक लाख अस्सी हजार रूपए अथवा उससे कम हो तथा आय परिवार पहचान पत्र से भी पृष्टि की जाए।
  - नोट— अलाभप्रद समूह के बालकों के अभिभावकों के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के अभिभावकों का आय प्रमाण पत्र पिछले वर्ष का / नवीनतम पाया जाना अनिवार्य है जैसे कि—वर्ष 2023—24 के लिए मार्च 2023 माह का आय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है या परिवार

पहचान पत्र में अगर वार्षिक सत्यापित आय 1 लाख 80 हजार रूपये से कम है, तो वह मान्य होगा।

## 3. दाखिले की आयु सीमा —

(i) प्रवेश स्तर की कक्षाओं आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग में प्रवेश के लिए पात्र आयु सीमा (प्री-स्कूल/नर्सरी, प्री-प्राईमरी/के.जी और प्रथम कक्षा) में निम्नानुसार है:--

कक्षा का स्तर	आयु सीमा 31.03.2023 तक		
प्री-स्कूल / नर्सरी	3-51/2 वर्ष		
प्री–प्राईमरी / के.जी	4-61/2 वर्ष		
कक्षा— प्रथम	5 वर्ष 6 मास से अधिक		

(ii) प्रवेश स्तर की कक्षाओं निःशक्त वर्ग (RPWD) के बालकों के प्रवेश के लिए पात्र आयु सीमा (प्री—स्कूल / नर्सरी, प्री—प्राईमरी / के.जी और प्रथम कक्षा) में निम्नानुसार है:—

कक्षा का स्तर	आयु सीमा 31.03.2023 तक			
प्री-स्कूल / नर्सरी	3—9 वर्ष			
प्री–प्राईमरी / के.जी	4-9 वर्ष			
कक्षा— प्रथम	5—9 वर्ष			

- 4. माता पिता/अभिभावक द्वारा आवासीय पता व विद्यालय से आवासीय दूरी को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा कि उनका आवासीय क्षेत्र विद्यालय से 0-1 किलोमीटर की दूरी के अन्दर है।
- 5. यदि विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदकों की संख्या, कमजोर वर्गों तथा अलाभप्रद ग्रुपों से सम्बन्धित बालकों की आरक्षित सीटों की संख्या से अधिक है, तो प्रवेश ड्रॉ ऑफ लॉटस द्वारा किया जाएगा।
- 6. कोई भी स्कूल या व्यक्ति बच्चे को प्रवेश देते समय, रकम, दान, योगदान या भुगतान राशि नहीं लेगा। कोई भी स्कूल या व्यक्ति जो इस प्रावधान का उल्लंघन करता है और रकम, दान, योगदान या भुगतान राशि प्राप्त करता है, तो दण्डनीय जुर्माना होगा जो कि शुल्क के 10 गुना तक लग सकता है।
- 7. मोनिटरिंग सैल— खण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक मोनिटरिंग सैल का गठन किया जाए जो कि कमजोर वर्गों तथा अलाभप्रद ग्रुपों से सम्बन्धित बालकों के स्कूलों में आवेदन सम्बन्धी प्रश्नों और शिकायतों का निवारण करेंगे व स्कूलवाईज़ ड्रा के माध्यम से चयनित सफल छात्रों के प्रवेश को सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त सभी निर्देशों की दृढ़ता से अनुपालना की जाए।